स्वी०संख्या–4/यो०व०–01/2015 15/वि० व०प० राँची, दिनांक–[illegible]

प्रेषक,

ए०के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत कुल 34.96 लाख (चौंतीस लाख छियान्बे हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

प्रसंग:– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–300 दिनांक–30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अंतर्गत कुल केन्द्रांश 50.00 लाख तथा राज्यांश में 50.00 लाख रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. यह योजना केन्द्र–प्रायोजित योजना है, जिसमें पूर्व में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 के रुप में था, किन्तु सम्प्रति योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त निदेश के आधार पर इस योजना हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 के रुप में करते हुए योजना की स्वीकृति दी जा रही है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं Funding Pattern में यदि कोई परिवर्त्तन होता है तो तद्नुसार स्वीकृत्यादेश में संशोधन किया जा सकेगा।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के कार्यालय पत्रांक–478 दिनांक–20.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है परंतु कार्य योजना की स्वीकृति अब तक भारत सरकार से अप्राप्त है।

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित "इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अंतर्गत कुल 34.96 लाख (चौंतीस लाख छियान्बे हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में, इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना एवं अधिरोपित सभी शर्त्तों के अनुरूप ही किया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/ इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

राज्यांश (राशि लाख में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01– वानिकी लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजन, उप शीर्ष 37–"इंटेसीफिकेशन आफ फारेस्ट मेंनेजमेंट (केन्द्रांश 75 : राज्यांश 25)	मजदूरी	19P240601789370103	20.000	4.370
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789370323	30.000	13.110
कुल राशि– (सतरह लाख अड़तालीस हजार रुपये)			**50.000**	**17.480**

केन्द्रांश (राशि लाख में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01– वानिकी लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजन, उप शीर्ष 37–"इंटेसीफिकेशन आफ फारेस्ट मेंनेजमेंट (केन्द्रांश 75: :राज्यांश 25)	मजदूरी	19C240601789370103	10.000	4.370
	आपूर्ति एवं सामग्री	19C240601789370323	40.000	13.110
कुल राशि– (सतरह लाख अड़तालीस हजार रुपये)			**50.000**	**17.480**

6. केन्द्र प्रायोजित योजना "इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी /उप वन संरक्षक, कार्य योजना तैयार कर दिनांक 20 जून 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 30 जून 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुषंसा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों में उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अनुमोदित करते हुए तत्संबंधी सूचना वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी ।

16/6 14/

16.6.2015

7. [illegible] संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्चयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप–आवंटन स्वीकृत राशि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि तक ही सीमित रखा जायेगा। साथ ही उपबंधित राशि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि के समानुपातिक रूप से ही राज्यांश की राशि आवंटित की जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय उक्त योजना बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्चयन हेतु भारत

15/स्वी0
16.6.15

सरकार द्वारा वास्तवित रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यो का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक–05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्य क्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

20. इस योजना के अंतर्गत कार्यों का संपादन संयुक्त वन प्रबंधन समिति/ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

16/6

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

14/स्वी०

16.6.2015

[illegible]

रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, रांची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, रांची/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पांच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–4/यो० बजट–61/2015 14/स्वी० **व०प०/रांची, दिनांक–** 16.6.2015

प्रतिलिपि :– सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना (75:25) इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की सूची

क0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल
3	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रण्मडल
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रण्मडल
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रण्मडल

ह0/-
ए0 के0 रस्तोगी
सरकार के विशेष सचिव

14/स्वी0
16.6.15